न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 112/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– भोमाराम पुत्र कानाराम 2– अम्माराम पुत्र कानाराम 3– सन्ताराम पुत्र कानाराम 4– भगवानराम पुत्र कानाराम 5– महेन्द्र पुत्र कानाराम सभी जातियान मेघवाल निवासीगण मेघवालो की ढाणी, गांव खारडा रणधीर तहसील व जिला जोधपुर		1– श्रीमती चुकी पत्नी गोकलराम 2– श्रीमती चुकडी पत्नी जगदीश 3– गोकलराम पुत्र बुधाराम 4– पेमाराम पुत्र मांगीलाल निवासीगण ग्राम दईकडा तहसील व जिला जोधपुर 5– लीलादेवी पुत्री स्व0 कानाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालो की ढाणी, गांव खारडा रणधीर, तहसील व जिला जोधपुर 6– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 4–12–2017 जो उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 179/2017 अनवान श्रीमती चुकी वगैरा बनाम तहसीलदर जोधपुर मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री कानाराम गोदारा अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– श्री ओ0पी0बूब अधिवक्ता रेस्पो0 सं 4 की ओर से ।
3– श्री मोहम्मद साबीर अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से।
4– रेस्पो0 संख्या 1 से 3 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 19–7–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश कर उसमे उल्लेख किया कि प्रार्थीगण की खरीदसुदा, कब्जासुदा खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम खारडा रणधीर तहसील जोधपुर की सरहद मे खसरा नंबर 16 रकबा 10 बीघा व खसरा नंबर 16/2 रकबा 10 बीघा आई हुई है । उक्त वर्णित खसरान् की भूमि मूल खसरा नंबर 16 का भाग है, जिसकी खातेदारी श्री गोरखाराम व सुरजाराम, खींवराज, रतनाराम, मानाराम, हुकमीचंद पि0 भोलाराम, कानाराम पुत्र बींजाराम के नाम अमल दरामद थी । जिसके संबंध मे खातेदार गोरखाराम वगैरा ने न्यायालय मे बंटवाडा का वाद पेश किया जिसे आदेश/डिक्री की पालना मे बंटवाडा स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे खसरा नंबर 16 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि खातेदार गोरखाराम तथा खसरा नंबर 16/2 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि सुरजाराम वगैरा के नाम तथा खसरा नंबर 16/3 रकबा 10 बीघा भूमि कानाराम के नाम एवं खसरा नंबर 16/4 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि उपरोक्त सभी खातेदारो के संयुक्त खातेदारी से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज की गई तथा उक्त अनुसार उक्त

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे मे अलग–अलग की गई । उक्त बंटवाडा के बाद गोरखाराम ने अपने हिस्से की खसरा नंबर 16 की 10 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2) को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामे से बेचान कर दी तथा ,खातेदार सुरजाराम ने अपने हिस्से की खसरा नंबर 16/2 की 10 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थी संख्या 3 व 4 (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 3 व 4) को कर दिया तथा उक्त बेचाननामों के आधार पर नामांतरकरण संख्या 358 दिनांक 5–12–2012 स्वीकृत किया जाकर खसरा नंबर 16 व 16/2 की भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज की हुई । परंतु प्रार्थीगण की उक्त खरीदसुदा भूमि खसरा नंबर 16 एवं 16/2 के मौके पर मुटाम व तारबंदी नही होने के कारण आये दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है तथा पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थीगण की बिना इजाजत उनकी खातेदारी भूमि को खुर्द –बुर्द व नष्ट करने की नाकाम कोशिशे कर रहे है इसलिए विवाद के निबटारा के लिए अधीनस्थ न्यायालय से मौके पर पत्थरगढी के आदेश पारित करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त विषय के धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 4–12–2017 के द्वारा स्वीकार करते हुए खसरा नंबर 16 रकबा 10 बीघा तथा खसरा नंबर 16/2 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि मौके पर चारो ओर पत्थरगढी/नेकमबंदी मौका फर्द मे दर्शाये अनुसार किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को पारित कर दिये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–12–2017 से व्यथित होकर अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 गण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किये गये धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे केवल तहसीलदार जोधपुर को ही पक्षकार बनाया, किसी पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन मूल खसरा नंबर 16 की भूमि के संबंध मे हुए बंटवाडा की डिक्री के विरूद्ध अभी भी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे विवाद विचाराधीन है तथा अपीलांटगण के पिता स्व0 कानाराम भी उक्त खसरा नंबर 16 की भूमि के सहखातेदार थे परंतु वर्तमान अपीलांटगण एवं पडोसी खातेदारो को सूचित किये बिना अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे केवल तहसीलदार जोधपुर को पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निररत योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 27–10–17 के सलंग्न प्रस्तुत सीमाज्ञान की मौका फर्द दिनांक 16–10–17 पर किसी अपीलांगण के हस्ताक्षर नही है उक्त मौका फर्द अपीलांटगण की अनुपस्थिति मे तैयार की गई है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा तैयार की गई सीमाज्ञान

रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय पारित किया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–12–2017 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 4 व 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए तथा इस अपील के साथ फार्म नंबर 3 के सलंग्नको की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे अपील मे वर्णित पक्षकारो के बीच न्यायालय सहायक कलेक्टर जोधपुर के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 84/2012 अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट तथा 53 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत हुआ जिसमे पारित निर्णय दिनांक 26–11–12 के विरूद्ध वर्तमान अपीलांटगण के पिता कानाराम पुत्र बींजाराम मेघवाल ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की जिसके अपील संख्या 15/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 5–8–2013 के द्वारा उक्त अपील को खारीज करते हुए न्यायालय सहायक कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–11–2012 को यथावत रखा जाने पर उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपीलांट के पिता कानाराम पुत्र बींजाराम मेघवाल ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे अपील पेश की जिस अपील मे पारित निर्णय दिनांक 21–10–14 के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान मे प्रस्तुत अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश होने के कारण खारीज कर दी जाने पर वर्तमान अपील के पिता कानाराम ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे एस.बी.सिविल रिट पीटी. संख्या 3784/2015 अनवान कानाराम बनाम राजस्व मण्डल अजमेर एवं अन्य प्रस्तुत की थी उक्त रिट पीटीशन को माननीय उच्च न्यायालय ने उनके आदेश दिनांक 26–4–2017 के द्वारा खारीज हो चुकी है अथार्त सहायक कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री आज भी प्रभावी होने से सभी उक्त निर्णय एवं डिक्री के अनुसार काबिज है तथा उक्त निर्णय एवं डिक्री अनुसार खसरा 16 के अलग–अलग बट्टा नंबर पडे तथा राजस्व नक्शे मे उसके अनुसार तरमीम भी हो गया तथा उक्त खसरा नंबरान की भूमि मे से रेकर्डेड खातेदारान द्वारा बेचान भी किया गया जिसमे से रेस्पो0 गण ने खसरा नंबर 16/2 की 10 बीघा भूमि के रेकर्डेड खातेदार से जरिये पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज से खरीद की जिसका म्युटेशन रेस्पो0गण के नाम दर्ज हुआ तथा राजस्व रेकर्ड मे रेस्पो0 का नाम दर्ज होने के बाद रेस्पो0गण ने अपनी खरीदसुदा खसरा नंबर 16 व खसरा नंबर 16/2 की भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–12–2017 के द्वारा हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हए खसरा नंबर 16 रकबा 10 बीघा तथा खसरा नंबर 16/2 रकबा 10 बीघा भूमि के मौके पर पत्थरगढी के जो आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया विधिसम्मत होने से अपेलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–12–2017 की पालना मे दिनांक 30–4–2018 को मौके पर पत्थरगढी हो चुकी है इसलिए अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपील के साथ प्रस्तुत उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात, अपीलाधीन भूमि के संबंध मे विभिन्न माननीय न्यायालयो मे दायर वाद/अपील/रिट आदि मे पारित निर्णयो तथा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दिनांक 16–10–2017 की सीमाज्ञान बाबत मौका फर्द आदि का अवलोकन किया । वर्तमान मामले मे अपीलाधीन भूमि ग्राम खारडा रणधीर के मूल खसरा नंबर 16 की भूमि के संबंध मे खातेदारान पक्षकारान के बीच बंटवाडा का दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद संख्या 84/2012 जो सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ था, जिसमे पारित निर्णय एवं डिग्री दिनांक 26–11–12 के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयो मे अपील के जरिये चुनौती दी जाने पर अन्ततः सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिग्री दिनांक 26–11–12 को प्रभावी माना, जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे वर्तमान अपीलांट के पिता कानाराम के खातेदारी खसरा नंबर 16/3 मे 10 बीघा तथा खसरा नंबर 16/4 मे 1/3 हिस्सा दर्शाई हुई है अथार्त अपीलांटगण अपीलाधीन भूमि के पडौसी खातेदार है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष वर्तमान रेस्पो0गण द्वारा अपनी खरीदसुदा खसरा नंबर 16 एवं 16/2 की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे केवल तहसीलदार जोधपुर को पक्षकार बनाया, अपीलांटगण एवं पडौसी किसी खातेदार को पक्षकार नही बनाया तथा बिना पडौसी खातेदारान को सूचित किये बिना अपने खरीदसुदा खसरा नंबर 16 व 16/2 की भूमि की दिनांक 16–10–2017 को एकतरफा सीमाज्ञान फर्द तैयार कर प्रस्तुत की जाना प्रकट है, उक्त सीमांकन फर्द पर वर्तमान अपीलांटगण अथवा अन्य पडौसी किसी खातेदार के हस्ताक्षर नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय मे किसी पडोसी खातेदार को पक्षकार नही बनाया जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय मे यह उल्लेख किया गया है कि "चूँकि सभी खातेदारान उक्त पत्थरगढी व सीमाज्ञान करने हेतु सहमत है, जैसा कि मौका फर्द मे बताया गया है" उक्त विवेचन रेकर्ड अनुसार सही प्रतीत नही होता है । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलाधीन भूमि के पडोसी खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–12–2017 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन भूमि के सभी पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे अपीलाधीन भूमि की नये सिरे से पैमाईश करवाकर पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए रेस्पो0गण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र पर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 19–7–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर